

संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन
ब्लॉक-ए, प्रथम तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर

दूरभाष 0771-2331306 फ़ैक्स 0771-2445789 E-mail ID dir.treasury.cg@nic.in

||| आदेश |||

अटल नगर, दिनांक. **30**/01/2024

क्रमांक / **6287** / एस.ए.एस. / स्था / पी.एस.सी.-2022 / 2024 छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा वर्ष-2022 के माध्यम से चयनित छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किए गए निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि (वित्त निर्देश 33/2023) पर छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग में वेतनमान 9300-34800 ग्रेड वेतन 4300 / -(7th Pay Level-9) में आगामी पृष्ठ 3 एवं 4 के पैरा (1) से (13) तक अंकित शर्तों के अधीन अनंतिम रूप से नियुक्त किया जाता है :-

स. क.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित सूची का क्रमांक.	नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता
1	2	3	4	5
1	1	श्री रूपेश कुमार साहू	श्री बिसुन कुमार साहू	ग्राम-कुम्हालोरी, पोस्ट-सुरगी, तहसील व जिला- राजनांदगांव (छ.ग.) पिनकोड-491441
2	2	सुश्री प्रगति दुबे	श्री प्रफुल्ल कुमार दुबे	प्रसन्न कुंज, दम्मानी कॉलोनी नवापारा (राजिम) तहसील-गोबरा(नवापारा), जिला-रायपुर (छ.ग.) पिनकोड 493881
3	3	सुश्री लोकेश्वरी	श्री खोमन लाल	ग्राम व पोस्ट भीमकन्हार, तहसील-डौण्डी लोहारा जिला-बालोद(छ.ग.) पिनकोड-491771
4	4	श्री लीलाधर सिंह क्षत्री	स्व. जगदीश सिंह क्षत्री	ग्राम-पोस्ट जांजी, थाना व तहसील-सीपत जिला-बिलासपुर(छ.ग.) पिनकोड 495550
5	5	श्री आयुष पाण्डेय	श्री बी.आर. पाण्डेय	श्री बी.आर.पाण्डेय(अधिवक्ता), मकान क्र.-58, चक्रधर नगर, बंगला पारा, मारुति कला मंदिर के पास, रायगढ़(छ.ग.) पिनकोड 496001
6	6	श्री सुमित कुमार	श्री गेंदलाल	ग्राम व पोस्ट-डिण्डौरी, तहसील-लोरमी, जिला-मुंगेली (छ.ग.)पिनकोड 495115
7	7	श्री आशुतोष सिंह राजपूत	श्री विद्यानंद सिंह राजपूत	ग्राम-करामाल, पोस्ट-सोंढ़, तहसील-बेरला, जिला- बेमेतरा(छ.ग.) पिनकोड 491332
8	8	श्री लोकेश साव	श्री लक्ष्मण प्रसाद	ग्राम-धरमपुर, पोस्ट-सांकरा (जोंक) तहसील-पिथौरा, जिला-महासमुन्द(छ.ग.) पिनकोड 492112
9	9	श्री यशवंत कुमार वर्मा	श्री ढलेन सिंह वर्मा	हाऊस नं-60, बंजरग चौक, ग्राम-खुडमुडी, तहसील- तिलदा नेवरा, जिला-रायपुर(छ.ग.) पिनकोड-493116
10	10	श्री निखिलेश मिश्र	श्री चन्द्रभानु मिश्र	रेस्ट हाऊस के पीछे, वार्ड क्र.-7, सरायपाली, जिला-महासमुंद(छ.ग.) पिनकोड 493558

स. क.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित सूची का क्रमांक.	नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता
1	2	3	4	5
11	11	श्री टीका राम	श्री राम प्रसाद	ग्राम-बांधा, पोस्ट ऑफिस-देवरहट, तहसील-लालपुर जिला-मुंगेली (छ.ग.) पिनकोड 495115
12	12	सुश्री अनंदा चंद्राकर	श्री दिनेश चन्द्रकार	मकान क्र.-49, ग्राम-खम्हरिया, पोस्ट-कुण्डा, तहसील- पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.) पिनकोड 491559
13	13	सुश्री पूजा चौधरी	श्री श्यामलाल	ग्राम- तिलगी, पोस्ट ऑफिस-चिखली तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) पिनकोड 496100
14	14	श्री नंद कुमार पटेल	श्री डोलनारायण पटेल	मकान नं.-55/2, वार्ड-05, ग्राम-फरहदा पोस्ट-सांकर, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग.) पिनकोड 495552
15	15	श्री प्रकाश लहरे	श्री भैयाराम लहरे	मकान क्र.-321, बस स्टैण्ड पारा, ग्राम-कुरदा, तहसील- मालखरौदा, जिला-सक्ती (छ.ग.) पिनकोड 495691
16	16	सुश्री स्वाती जांगड़े	श्री रामेश्वर जांगड़े	प्लॉट नं.-03, प्रियंका नगर, रिसाली, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) पिनकोड 490006
17	17	श्री मनीष बघेल	श्री धनसिंह बघेल	म.नं.-350, शीतला पारा, पखांजुर, तहसील-पखांजुर, जिला-कांकेर (छ.ग.) पिनकोड 494776
18	18	सुश्री अल्फीना खान	श्री कमरु जमा खान	बाजीन पाली, महरा पारा, जूट मील रोड़ रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) पिनकोड 496001
19	19	सुश्री दुर्गावती कुजूर	श्री एतवा कुजूर	वार्ड क्र-02, मकान नं.-129, पुलिस लाईन थाना पारा, रतनपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) पिनकोड-495442
20	20	श्री दुर्गेश कुमार भुआर्य	श्री चिंताराम	ग्राम-पोण्डी, पोस्ट-टेकापार, जिला-बालोद(छ.ग.) पिनकोड- 491226
21	21	सुश्री रश्मि साय	स्व. भागीरथी साय	एम.आई.जी.-04, ब्लॉक क्रमांक-17, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी पिरदा, सेरीखेड़ी के समीप, जिला-रायपुर(छ.ग.) पिनकोड- 492001
22	22	सुश्री गीता ठाकुर	श्री माखन लाल	ग्राम- गुलालबोडी, पोस्ट-चिहरीं, तहसील-दुर्गकौंदल, जिला- उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) पिनकोड- 494635
23	23	श्री अनिल कुमार भगत	श्री दुर्गादास भगत	ग्राम-बचवार, पोस्ट व तहसील-शंकरगढ़, जिला-बलरामपुर (छ.ग.) पिनकोड- 497118
24	24	श्री अनिल सिदार	श्री हेतराम	मकान नं.-21, खोलपारा-खिचरी, पोस्ट-बेगची, जिला सारगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) पिनकोड 496551
25	25	श्री आशीश कुमार धनेश्री	श्री माधो सिंह धनेश्री	ग्राम व पोस्ट -भरीटोला(36), तहसील-डौण्डी, जिला- बालोद (छ.ग.) पिनकोड-491230

1. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है ।
2. (अ) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा उसकी जाति प्रमाण पत्र के संबंध में शपथ-पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा तथा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से कराकर दो माह के भीतर इस विभाग को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरान्त उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना इस विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी, तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी ।
(ब) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गए सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियाँ अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध करायेगा ।
3. दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति के समय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के धारा 91 के अनुवर्तन में घोषणा-पत्र (स्वयं) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
4. परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा भाग-1 एवं भाग-2 निर्धारित अवधि में उत्तीर्ण करना होगा ताकि पदांकन संबंधी आगामी कार्यवाही की जा सकेगी ।
5. संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा भाग-1 एवं भाग-2 निर्धारित अवधि में उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा सफलतापूर्वक परिवीक्षा पूर्ण करने पर परिवीक्षावधि समाप्ति की कार्यवाही की जावेगी ।
6. शासकीय सेवा के दौरान उपरोक्त अधिकारीगण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तों) नियम 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत शासित होंगे ।
7. सभी अभ्यर्थियों का निर्धारित मापदण्ड अनुसार आचरण व चरित्र का पुलिस सत्यापन भी कराया जायेगा। पुलिस सत्यापन में अधिकारी को सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में यदि, उनका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव न होना पाया जायेगा, तो उनकी सेवाएँ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेगी ।
8. उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति जिला/राज्य या संभागीय "मेडिकल बोर्ड" से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है । अतः अभ्यर्थीगण राज्य या जिला/संभागीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तत्काल विभाग में प्रस्तुत करेंगे । बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र के वेतन आहरण नहीं किया जायेगा, तथा कार्य की गयी अवधि का कोई वेतन देय नहीं होगा । "मेडिकल बोर्ड" द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी ।
9. जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र के पूर्ण सत्यापन के उपरान्त ही संबंधित कर्मचारी की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा ।

10. उपर्युक्त अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारूप में एक बांड शासन के पक्ष में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में, परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गयी राशि जिसमें वेतन भत्ते एवं यात्रा देयक तथा अन्य व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा।
11. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, अटल नगर द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों तथा चयनित अभ्यर्थियों की परस्पर वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई चयन सूची के आधार पर निर्धारित होगी।
12. नियुक्त अभ्यर्थियों का चयन यदि किसी अन्य पद पर होता है तो उनके द्वारा नियमानुसार परीक्षा हेतु अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा एक माह पूर्व सूचना कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा अथवा एक माह का वेतन+भत्ते चालान के द्वारा जमा कर सेवा से त्याग पत्र दिया जावेगा।
13. नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिन की अवधि में अभ्यर्थियों को पदभार ग्रहण करना अनिवार्य है। अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।



संचालक
कोष लेखा एवं पेंशन

पृ. क्रमांक / 6288 / एस.ए.एस. / स्था / पी.एस.सी.-2022 / 2024

अटल नगर, दिनांक...30.../01/2024

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर।
4. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, विधानसभा रोड रायपुर।
5. महानिदेशक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर।
6. सहायक पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता शाखा, पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़ अटल नगर, रायपुर।
7. पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला -....., छत्तीसगढ़।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला -, छत्तीसगढ़।
10. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, इंद्रावती कोषालय, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
11. शाखा प्रभारी-गणक/भण्डार/परीक्षा/प्रशिक्षण/सीपीएस/गोपनीय शाखा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
12. संबंधित अभ्यर्थी श्री/सुश्री/कु./श्रीमती

.....आपको निर्देशित किया जाता है कि यदि यह नियुक्ति आपको स्वीकार हो तो कृपया इस आदेश की पावती एवं सहमति अविलंब इस कार्यालय को भेजे एवं इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन, छ.ग. इंद्रावती भवन, अटल नगर जिला- रायपुर में उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करें। अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।



संचालक
कोष लेखा एवं पेंशन